रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940
No. 719] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

वित्त मंत्रालय

(वित्त सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 1008(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) नियम, 1998 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम अध्यक्ष (सेवा के कतिपय निबंधन और शर्तें) नियम, 1998 में,-

(क) नियम 6 में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु ऐसे अध्यक्ष को, जिसके लिए वास सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा 'X' के रूप में वर्गीकृत शहर में मूल वेतन के 24 प्रतिशत की दर पर 1 जुलाई, 2017 से गृह किराया भत्ता संदत्त किया जाएगा:

परंतु यह और कि जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत को पार कर जाता है तब गृह किराया भत्ता 27 प्रतिशत पुनरीक्षित किया जाएगा और जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत को पार कर जाता है तब गृह किराया भत्ता 30 प्रतिशत तक और पुनरीक्षित किया जाएगा।";

(ख) नियम 8ख में,--

(i) "1 सितम्बर, 2008 से" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1 जुलाई, 2017 से";

(ii) "1000 रुपए" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2250 रुपए";

(iii) "3000 रुपए" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6750 रुपए";

(iv) निम्नलिखित परंतुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि दिव्यांग बालकों के लिए बाल शिक्षा भत्ता दुगुना होगा।";

(ग) नियम 8ग में,-

(i) "1 सितम्बर, 2008 से" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1 जुलाई, 2017 से";

(ii) "7000 रुपए" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"15750 रुपए";

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम को 1 जुलाई, 2017 से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कतिपय पुनरीक्षित भत्ते, अर्थात् गृह किराया भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता और परिवहन भत्ते का फायदा देने का विनिश्चय किया है।

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष पर इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[फा. सं. एस-11012/06/2008-बीमा-I]

एन.श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 124(अ), तारीख 5 मार्च,1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इन्हें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया :

1. सा.का.नि. 591(अ), तारीख 14 अगस्त, 2001 ;
2. सा.का.नि. 629(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2004 ;
3. सा.का.नि. 819(अ), तारीख 26 नवम्बर, 2008 ;
4. सा.का.नि. 29(अ), तारीख 13 जनवरी, 2017।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2018

G.S.R. 1008(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Chairman (Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1998, namely:-

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Chairman (Certain Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 2017.

2. In the Life Insurance Corporation of India Chairman (Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1998,–

   (a) in rule 6, for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that the Chairman who has not been provided with such accommodation, shall be paid with effect from 1st July, 2017 house rent allowance at the rate of 24 per cent of basic pay in a city classified as 'X' by the Central Government:

Provided further that the rate of house rent allowance shall be revised to 27 per cent when dearness allowance crosses 25 per cent and further revised to 30 per cent when dearness allowance crosses fifty per cent.";

(b) in rule 8B,–

(i) for the words, letters and figures "with effect from 1st September, 2008", the following shall be substituted, namely:–

"with effect from 1st July, 2017";

(ii) for the letters and figures "Rs. 1000", the following shall be substituted, namely:-

"Rs. 2250";

(iii) for the letters and figures "Rs. 3000", the following shall be substituted, namely:-

"Rs. 6750";

(iv) the following proviso shall be inserted at the end, namely:–

"Provided that the Children Education Allowance shall be double for differently abled children.";

(c) in rule 8C,–

(i) for the words, letters and figures "with effect from 1st September, 2008", the following shall be substituted, namely:-

"with effect from 1st July, 2017";

(ii) for the letters and figures "Rs. 7000", the following shall be substituted, namely:-

"Rs. 15750".

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to extend the benefit of certain revised allowances, namely, the house rent allowance, Children Education Allowance and Transport Allowance based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission to the Chairman, Life Insurance Corporation of India, with effect from 1st July, 2017.

It is certified that no Chairman of Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

[F. No. S-11012/06/2008-Ins.I]

N. SRINIVASA RAO, Economic Advisor

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 124(E), dated the 5th March, 1998 and subsequently amended *vide* the following notifications:

1. G.S.R. 591(E), dated the 14th August, 2001,
2. G.S.R. 629(E), dated the 22nd September, 2004,
3. G.S.R. 819(E), dated the 26th November, 2008,
4. G.S.R. 29(E), dated the 13th January, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि.1009(अ).—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंध निदेशक (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1988 में,-

(क) नियम 6 में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु ऐसे प्रबंध निदेशक को, जिसके लिए वास सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा 'X' के रूप में वर्गीकृत शहर में मूल वेतन के 24 प्रतिशत की दर पर 1 जुलाई, 2017 से गृह किराया भत्ता संदत्त किया जाएगा:

परंतु यह और कि जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत को पार कर जाता है तब गृह किराया भत्ता 27 प्रतिशत पुनरीक्षित किया जाएगा और जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत को पार कर जाता है तब गृह किराया भत्ता 30 प्रतिशत तक और पुनरीक्षित किया जाएगा।";

(ख) नियम 8ख में,--

(i) "1 सितम्बर, 2008 से" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1 जुलाई, 2017 से";

(ii) "1000 रुपए" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2250 रुपए";

(iii) "3000 रुपए" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6750 रुपए";

(iv) निम्नलिखित परंतुक अन्त में अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि दिव्यांग बालकों के लिए बाल शिक्षा भत्ता दुगुना होगा ।";

(ग) नियम 8ग में,-

(i) "1 सितम्बर, 2008 से" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1 जुलाई, 2017 से";

(ii) "7000 रुपए" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"15750 रुपए";

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने प्रबंध निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम को 1 जुलाई, 2017 से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कतिपय पुनरीक्षित भत्ते, अर्थात् गृह किराया भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता और परिवहन भत्ते का फायदा देने का विनिश्चय किया है ।

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक पर इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

[फा. सं. एस-11012/06/2008-बीमा-I]

एन. श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 65(अ), तारीख 29 जनवरी, 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इन्हें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया :

1. सा.का.नि. 125(अ), तारीख 5 मार्च, 1998 ;
2. सा.का.नि. 592(अ), तारीख 14 अगस्त, 2001 ;
3. सा.का.नि. 630(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2004 ;
4. सा.का.नि. 820(अ), तारीख 26 नवम्बर, 2008 ;
5. सा.का.नि. 30(अ), तारीख 13 जनवरी, 2017 ;

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2018

G.S.R. 1009(E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1988, namely:-

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of July, 2017.

2. In the Life Insurance Corporation of India Managing Director (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1988,–

   (a) in rule 6, for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

   "Provided that a Managing Director who has not been provided with such accommodation shall be paid with effect from 1st July, 2017 house rent allowance at the rate of 24 per cent of basic pay in a city classified as 'X' by the Central Government:

   Provided further that the rate of house rent allowance shall be revised to 27 per cent when dearness allowance crosses 25 per cent and further revised to 30 per cent when dearness allowance crosses 50 per cent.";

   (b) in rule 8B,–

   (i) for the words, letters and figures "with effect from 1st September, 2008", the following shall be substituted, namely:-

   "with effect from 1st July, 2017";

   (ii) for the letters and figures "Rs. 1000", the following shall be substituted, namely:-

   "Rs. 2250";

   (iii) for the letters and figures "Rs. 3000", the following shall be substituted, namely:-

   "Rs. 6750";

   (iv) the following proviso shall be inserted at the end, namely:–

   "Provided that the Children Education Allowance shall be double for differently abled children.";

   (c) in rule 8C,–

   (i) for the words, letters and figures "with effect from 1st September, 2008", the following shall be substituted, namely:-

   "with effect from 1st July, 2017";

(ii) for the letters and figures "Rs. 7000", the following shall be substituted, namely:-

"Rs. 15750".

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to extend the benefit of certain revised allowances, namely, the house rent allowance, Children Education Allowance and Transport Allowance based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission to the Managing Director, Life Insurance Corporation of India, with effect from 1st July, 2017.

It is certified that no Managing Director of Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by the notification being given retrospective effect.

[F. No. S-11012/06/2008-Ins.I]

N.SRINIVASA RAO, Economic Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 65(E), dated the 29th January, 1988 and subsequently amended *vide* the following notifications:

1. G.S.R. 125(E), dated the 5th March, 1998,
2. G.S.R. 592(E), dated the 14th August, 2001,
3. G.S.R. 630(E), dated the 22nd September, 2004,
4. G.S.R. 820(E), dated the 26th November, 2008,
5. G.S.R. 30(E), dated the 13th January, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.09 22:37:27 +05'30'